

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019-55547-555 दिनांक 28.08.2020 के अन्तर्गत, जिला सोलन में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला सोलन को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त, जिला सोलन की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला सोलन के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुनर्गठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला सोलन के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रयोजन हेतु, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं;

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2-क) तथा धारा 3-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र 0 सं 0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड कुनिहार						
1	पलोग	1 पलोग	खनलग	1 स्याथा	1 पलोग	
		2 ध्याणा		2 टुकाना रंगोलड़ा	2 ध्याणा	
		3 जावडा		3 टुकाना	3 जावडा	

				गलोगड़ा		
		4 स्याथा		4 थला	4 मानण	
		5 टुकाना रंगोलड़ा		5 खनलग	5 डंगरोड़	
		6 टुकाना गलोगड़ा		6 रौड़ी	6 काटल	
		7 थला		7 नाहणू	7 जंगल मांझू	
		8 खनलग			8 मांझू	
		9 रौड़ी			9 नेर	
		10 मानण			10 रौ	
		11 डंगरोड़				
		12 काटल				
		13 जंगल मांझू				
		14 मांझू				
		15 नेर				
		16 नाहणू				
		17 रौ				

विकास खण्ड सोलन

2	बोहली	1 बोहली	सुल्तानपुर	1 घल्याणा	1 बोहली	
		2 मशौण		2 मशौण	2 काटल कठार	
		3 दियूड़		3 दियूड़	3 खल्यांटी	
		4 नेरीकलां		4 कोटला	4 मंझयार	
		5 नेरी खुर्द		5 मंझोली	5 कठारी	
		6 काटल कठार		6 नेरी खुर्द	6 सोबडू	
		7 घल्याणा			7 घवायली	
		8 मंझोली			8 क्यारटू	
		9 खल्यांटी			9 मंझलोड़ी	
		10 मंझयार			10 शमलोग	
		11 कठारी			11 जाबल रशेश	
		12 सोबडू			12 मैहली	

		13 घवायली			13 धारों
		14 क्यारटू			14 शायी
		15 मझलोड़ी			15 जोहड़ पटयाल
		16 शमलोग			16 नेरी कलां
		17 जाबल रशेश			
		18 कोटला			
		19 मैहली			
		20 धारों			
		21 शायी			
		22 जोहड़ पटयाल			
3	बड़ोग	1 आंजी		7 आंजी	1 ढिलो
		2 खलोगड़ा		8 खलोगड़ा	2 थापो
		3 जोल भाईली		9 जोल भाईली	3 बड़ोग
		4 ढिलो		10 रामपुर	4 रुन्दन घोड़ो
		5 थापों		11 लाडो	5 लोहान्जी
		6 बड़ोग		12 सुलतानपुर	6 ढाको
		7 रुन्दन घोड़ो			
		8 रामपुर			
		9 लाडो			
		10 लोहान्जी			
		11 सुलतानपुर			
		12 ढाको			

विकास खण्ड धर्मपुर

4	जाबली	1 गाही	कोटीनांब मुख्यावास (गैल-सरी)	1 कुटाहघाट	1 गाही
		2 शयोला		2 नाब चायवला	2 शयोला
		3 सुजी		3 ठाना	3 सुजी

	4 सेरला		4 सरी	4 सेरला	
	5 राजपुरी		5 हडली	5 राजपुरी	
	6 राजड़ी		6 कोटी	6 राजड़ी	
	7 भाटगांव		7 दतायरू देहली	7 भाटगांव	
	8 शमराल		8 बनोग	8 शमराल	
	9 शाई			9 शाई	
	10 मांझ			10 मांझ	
	11 मंझेड़			11 मंझेड़	
	12 डीब			12 डीब	
	13 कुराड़			13 कुराड़	
	14 नाहोन			14 नाहोन	
	15 रानी गांव			15 रानी गांव	
	16 कुटाहघाट				
	17 नाब चायवला				
	18 ठाना				
	19 सरी				
	20 हडली				
	21 कोटी				
	22 दतायरू देहली				
	23 बनोग				

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।


संख्या:पीसीएच-एचए(1)2/2019-60640-649 शिमला-171009

दिनांक 23.9.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश, शिमला 02।
3. जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को 2 प्रतियों सहित (वर्तमान तथा नवगठित ग्राम सभाओं में रिकार्ड हेतु)।


अतिरिक्त निदेशक
पंचायती राज विभाग
हिमाचल प्रदेश।